फर्द अहकाम

हरिनारायण बनाम जेडीए

संख्या: 299/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.09.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् रिव्यू अन्तर्गत धारा 229 राज0टी0एक्ट0 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 18.10.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
18/10/24	पत्रावली पेश श्री [illegible] व अप्रार्थी [illegible] उपस्थित [illegible] रिव्यू पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया [illegible] अवलोकन करने पर रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण सं. 38/2021 [illegible] हरिनारायण बनाम [illegible] पर [illegible] जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली मेरे द्वारा हस्ताक्षरित [illegible] के समक्ष रखी। (उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	प्रतिवादी [illegible] की ओर से [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:44:22 IST
Reason: SelfAttested